# नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी दिनांक 18 जून,2018 को अपरान्ह समय सांय 3.00 बजे अपर जिलाधिकारी अल्मोड़ा के कक्ष में गठित समिति के समक्ष सम्पन्न होगी। इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग ले सकते है। निष्प्रयोज्य सामग्री एवं नीलामी की शर्तों आदि के सम्बन्ध में जानकारी किसी भी कार्य दिवस में सदर, नजारत अनुभाग जिला कार्यालय अल्मोड़ा में देखी जा सकती हैं।

## 1—निष्प्रयोज्य सामग्री का विवरण

| क्र0 | सामग्री का विवरण | संख्या | मूल्य रू0 में | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 kva kirloskar generator | 01 | 4248.75 | जि0अ0कैम्प कार्यालय में स्थित |
| 2 | 5 kva kirloskar generator | 01 | 4207.50 | जि0अ0कैम्प कार्यालय में स्थित |
| 3 | 7-5 kva kirloskar generator | 01 | 4666.20 | जिला कार्यालय में स्थित |
| 4 | 15 kva kirloskar generator | 01 | 5057.50 | जिला कार्यालय में स्थित |
| 5 | हीटर (भार 0.5 किग्रा प्रति) | 08 | 66.00 | ———ऐ0——— |
| 6 | वाहन टायर | 13 | 325.00 | 08जिला कायालर्य, 05 कैम्प कार्यालय |
| 7 | Chair | 126 | 1840.00 | जिला कार्यालय में स्थित |
| 8 | Revolving Chairs | 10 | 168.00 | ———ऐ0——— |
| 9 | Jaali Door | 05 | 50.00 | ———ऐ0——— |
| 10 | Dak Rack | 01 | 10.00 | ———ऐ0——— |
| 11 | Wooden Bench | 04 | 40.00 | ———ऐ0——— |
| | कुल रूपया 20,679—00 | | | |

## 2—निष्प्रयोज्य सामग्री की शर्ते निम्नवत् है—

1. उपरोक्तानुसार निष्प्रयोज्य सामग्री की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 18—06—2018 के अपरान्ह 3.00 बजे की तिथि निर्धारित की गई है।
2. नियत तिथि को यदि किसी कारणवश अवकाश होता है तो तद्नुसार अगले कार्यदिवस को उसी नियत समय के अनुसार नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।
3. सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने वाले ईच्छुक व्यक्ति दिनांक 18.06.2018 के अपरान्ह 2.00 बजे तक सदर नजारत, अनुभाग जिला कार्यालय अल्मोड़ा में जमानत के रूप में रू0 5,000—00 (पॉच हजार) की धनराशि का डिमान्ड ड्राफट,सावधि जमा,बैंकर्स चैक जो जिला अधिकारी अल्मोड़ा के पद नाम से देय हो जमा करना होगा जिसके साथ पहचान पत्र (आई0डी0प्रूफ) लगाना आवश्यक होगा। उच्चतम् बोलीकर्ता को छोड़कर अन्य बोलीकर्ताओं को नीलामी प्रकिया पूर्ण होने पर जमानत धनराशि को उसी रूप में वापस कर दिया जायेगा।
4. सर्वोच्च बोलीदाता को बोली का 1/4 भाग धनराशि को तत्काल मौके पर जमा करना होगा शेष धनराशि 3/4 भाग आदि की धनराशि नीलामी की तिथि के तीन दिन अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा इसमें असफल रहने पर जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

5. यदि विचार में यह बात आ जाय कि बोली बोलने वाले व्यक्तियों ने आपस में गिरोह बना लिया है और निष्प्रयोज्य सामग्री का उचित मूल्य नही मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में नीलामी स्थगित करने का पूर्ण अधिकार समिति को होगा।
6. निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी तकनीकी अधिकारियों द्वारा दी गयी आख्या एवं गठित समिति के विचार के अनुसार प्रारम्भ की जायेगी।
7. निष्प्रयोज्य सामग्री जिला अधिकारी कार्यालय एंव जिला अधिकारी कैम्प कार्यालय अल्मोड़ा में है. एवं जिस स्थिति में है किसी भी कार्यदिवसों में दिनांक 18–06–2018 के अपरान्ह 2.00 बजे तक मौके पर जाकर देखी जा सकती हैं।
8. नीलामी के उपरान्त निष्प्रयोज्य सामग्री के सम्बन्ध में कोई भी वार्ता नहीं की जायेगी।
9. नीलामी की शर्ते जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अल्मोड़ा के वेबसाईड almora.nic.in में भी देखी जा सकती है।
10. नीलामी की शर्तों के विषय में किसी भी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में समिति की आख्या के आधार पर जिला अधिकारी अल्मोड़ा का आदेश अन्तिम होगा।
11. बिना किसी कारण के नीलामी/बोली स्थगित करने एवं नीलामी स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने का पूर्ण अधिकारी जिला अधिकारी अल्मोड़ा का होगा।

अपर जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

कार्यालय जिलाधिकारी,अल्मोड़ा
संख्या–1333(1)/नौ– 12 /17–18/मु0ना0/दिनांक जून,14,2018

प्रतिलिपि निम्नाकिंतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति/निष्प्रयोज्य सामग्री/नीलामी शर्ते को अपने वेबसाइड almora.nic.in में शुलभ संदर्भ हेतु तत्काल अपलोड करवाने का कष्ट करें।

2–जिला सूचना अधिकारी,अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

3–वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नजारत अनुभाग जिला कार्यालय अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को नोटिस बोर्ड,जिला कार्यालय/तहसील कार्यालय अल्मोड़ा,/ लाला बाजार/नगरपालिका परिषद अल्मोड़ा एवं सूचना कार्यालय अल्मोड़ा/जिला परिषद के सूचना पट पर चस्पा करवाये जाने हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा